ओपन-बुक एग्ज़ाम / Open-Book Exams

संदर्भ:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 2026-27 सत्र से कक्षा 9 में ओपन-बुक असेसमेंट (OBE) लागू करेगा। यह निर्णय एक पायलट अध्ययन के बाद लिया गया, जिसमें इस विचार के लिए शिक्षकों का मजबूत समर्थन सामने आया।

ओपन-बुक एग्ज़ाम:

- **परिभाषा:** ऐसे परीक्षा में छात्र अनुमोदित संसाधनों जैसे **पाठ्यपुस्तकें, कक्षा के नोट्स**, या अन्य निर्दिष्ट सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, मुख्य रूप से याददाश्त पर आधारित नहीं होती।
- **मुख्य चुनौती:** उपयुक्त जानकारी खोजना, उसे समझना और समस्याओं को हल करने के लिए लागू करना।
- **उद्देश्य:** यह परीक्षा छात्रों की **तर्क-विचार क्षमता, विचारों को जोड़ने और व्याख्या करने की क्षमता** का मूल्यांकन करती है, न कि केवल तथ्यों को याद करने की।

ओपन-बुक एग्ज़ाम (Open-Book Exams – OBEs)

लाभ:

- **सृजनात्मक सोच और विश्लेषण:** रटने की बजाय **क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण और एप्लिकेशन** पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **परीक्षा तनाव कम करना:** संदर्भ सामग्री तक पहुँच से **चिंता कम होती है** और छात्रों की गहरी समझ को प्रोत्साहन मिलता है।
- **व्यावसायिक परिदृश्य का अनुकरण:** यह वास्तविक जीवन के परिदृश्यों की तरह **संसाधनों का उपयोग कर समस्या समाधान** करने की क्षमता विकसित करता है, जिससे **दीर्घकालिक सीखने की योग्यता** बढ़ती है।

चुनौतियाँ:

- कई छात्र सोचते हैं कि OBEs आसान हैं, लेकिन **सफलता के लिए तैयारी और विश्लेषणात्मक क्षमता** आवश्यक है।
- **प्रश्न निर्माण** जो एप्लिकेशन को परखें, रटने पर आधारित नहीं हो, समय-गहन और शिक्षण पद्धति में बदलाव मांगता है।
- ग्रामीण और संसाधनहीन क्षेत्रों के छात्रों को **गुणवत्तापूर्ण संदर्भ सामग्री** की कमी से असमानता का सामना करना पड़ सकता है।
- OBEs आयोजित करने के लिए **व्यापक हॉल और लॉजिस्टिक योजना** की जरूरत होती है।

वैश्विक परिदृश्य:

- ओपन-बुक एग्ज़ाम दशकों से प्रचलित हैं; **हॉन्ग कॉन्ग** ने 1953 में शुरू किया।
- **यूएस और यूके (1951–1978)** के अध्ययन से पता चला कि OBEs ने छात्रों को केवल रटना नहीं, बल्कि **ज्ञान को आत्मसात करने और विभिन्न क्षमताओं** को विकसित करने में मदद की।
- COVID-19 महामारी के दौरान, ऑनलाइन परीक्षाओं में OBEs का व्यापक उपयोग हुआ, हालांकि प्रारंभ में छात्र **अपरिचित प्रारूप से संघर्ष** कर रहे थे।

भारत में स्थिति:

- **2014:** CBSE ने *Open Text-Based Assessment (OTBA)* शुरू किया, रटने की बजाय **क्रिटिकल थिंकिंग** बढ़ाने के लिए।
- **लागू वर्ग और विषय:** कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान; कक्षा 11 में अर्थशास्त्र, जीवविज्ञान और भूगोल।
- छात्रों को **संदर्भ सामग्री चार महीने पहले** दी जाती थी।
- **2017–18:** योजना बंद कर दी गई क्योंकि यह इच्छित क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को प्रभावी रूप से विकसित नहीं कर पाई।
- **कॉलेज स्तर पर OBEs:**
  - 2019 में AICTE ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में OBEs की स्वीकृति दी।
  - महामारी के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जेनारल नेहरू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने OBEs का उपयोग किया; IIT दिल्ली, IIT इंदौर और IIT बॉम्बे ने ऑनलाइन OBEs आयोजित किए।

नासा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना / NASA Planning to Install a Nuclear Reactor on the Moon

संदर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका **2030 तक चंद्रमा पर 100 किलोवाट का परमाणु रिएक्टर** स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक रणनीतिक मानी जा रही है।

- इस पहल का उद्देश्य चंद्रमा पर आवास और खनन गतिविधियों के लिए 24x7 ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- यह कदम चीन-रूस की महत्वाकांक्षाओं का जवाब देने के साथ-साथ भविष्य के मंगल और क्षुद्रग्रह अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

चंद्रमा पर सौर ऊर्जा की तुलना में परमाणु ऊर्जा अधिक उपयुक्त क्यों?

चुनौतियाँ (सौर ऊर्जा):

- चंद्रमा पर **लगातार दो सप्ताह लंबी रात** होती है, जिसके दौरान सोलर पैनल बिजली उत्पन्न नहीं कर पाते।
- इस अवधि में ऊर्जा का पर्याप्त भंडारण और निरंतर आपूर्ति एक बड़ी चुनौती है।

समाधान (परमाणु ऊर्जा):

- **परमाणु रिएक्टर** लगातार, उच्च क्षमता और **24×7 निर्बाध बिजली आपूर्ति** देता है।
- यह चंद्रमा पर निम्नलिखित के लिए बेहद महत्वपूर्ण है:
  - **लाइफ-सपोर्ट सिस्टम** को चलाना
  - **हैबिटैट्स** को पावर देना
  - **रोबोटिक और माइनिंग उपकरण** का संचालन करना

100-किलोवाट पावर सिस्टम की भूमिका:

- पहले NASA ने **40 किलोवाट न्यूक्लियर सिस्टम** का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हाल की योजना में इसे **100 किलोवाट** तक बढ़ाया गया।
- **100 किलोवाट क्षमता** पर्याप्त होगी:
  - कई **चंद्र आवास** (lunar habitats) चलाने के लिए
  - **ऑक्सीजन और पानी निष्कर्षण संयंत्र** के लिए
  - **औद्योगिक स्तर की शोध सुविधाओं** के लिए
- यह योजना केवल चंद्रमा तक सीमित नहीं है — यह **मंगल और गहरे अंतरिक्ष मिशनों** के लिए भी **प्रोटोटाइप** का काम करेगी।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा और कानूनी ढांचा

- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा** – NASA की यह पहल चीन और रूस की उन योजनाओं के बाद तेज हुई है, जिनमें वे **2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन** स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत और जापान सहित अन्य देश भी चंद्रमा की खोज और मानव बस्तियां बसाने के प्रयास में जुटे हैं।

कानूनी ढांचा –

- **1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी (Outer Space Treaty):** अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के **शांतिपूर्ण उपयोग** की अनुमति देता है और पारदर्शिता, सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के दिशा-निर्देश तय करता है।
- **आर्टेमिस अकॉर्ड्स (Artemis Accords):** अंतरिक्ष अन्वेषण में **अंतरराष्ट्रीय सहयोग** को बढ़ावा देते हैं, जिसमें पारदर्शिता, शांतिपूर्ण उपयोग और अंतरिक्ष संसाधनों के जिम्मेदाराना उपयोग पर जोर है।

परमाणु रिएक्टर से अमेरिका को होने वाले रणनीतिक लाभ:

- **संसाधन आत्मनिर्भरता** – चंद्रमा की मिट्टी (lunar regolith) से **ऑक्सीजन और पानी** निकालना संभव होगा, जिससे पृथ्वी से आपूर्ति पर निर्भरता घटेगी।
- **आपूर्ति में कमी** – लंबे मिशनों के लिए **पृथ्वी से बार-बार पुन:आपूर्ति (resupply)** की आवश्यकता नहीं होगी।
- **बहु-क्षेत्रीय समर्थन** – सैन्य, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक अभियानों को लगातार और भरोसेमंद ऊर्जा सपोर्ट मिलेगा।
- **अंतरिक्ष ऊर्जा नेतृत्व** – यह कदम अमेरिका को **अंतरिक्ष ऊर्जा प्रौद्योगिकी** में अग्रणी (leader) के रूप में स्थापित करेगा।

निष्कर्ष:

अमेरिका का चंद्रमा परमाणु रिएक्टर कार्यक्रम केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष के प्रति देशों के दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच, यह कदम अमेरिका को वैज्ञानिक और भू-राजनीतिक दोनों मोर्चों पर अपनी बढ़त बनाए रखने में मदद करेगा।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू / Impeachment proceedings begin against Justice Yashwant Verma

संदर्भ:

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने हेतु प्राप्त बहुदलीय नोटिस को स्वीकार करते हुए, उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।

गठित जांच समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

- न्यायमूर्ति अरविंद कुमार – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव – मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- बी. वी. आचार्य – कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता

लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि समिति शीघ्र ही अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव, जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक, लंबित रहेगा।

महाभियोग और उसकी प्रक्रिया-

'महाभियोग' शब्द का अर्थ है- किसी पद पर कार्यरत व्यक्ति को उस पद से हटाने के लिए अपनाई जाने वाली औपचारिक प्रक्रिया, जिसके बाद वह उस पद से जुड़ी सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों से वंचित हो जाता है। संक्षेप में, पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया को ही महाभियोग कहा जाता है।

भारतीय संदर्भ में महाभियोग शब्द दो स्थितियों में प्रयुक्त होता है:

- राष्ट्रपति का महाभियोग
- न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया – हालांकि भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

भारत में न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया:

- **अनुच्छेद 124(4)** – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रावधान।
- **अनुच्छेद 218** – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रावधान।

हटाने के आधार: न्यायाधीश को केवल इन दो आधारों पर ही हटाया जा सकता है:

- **सिद्ध दुराचार:** पद पर रहते हुए जानबूझकर किया गया अनुचित आचरण, भ्रष्टाचार, ईमानदारी की कमी, या कोई ऐसा अपराध जिसमें नैतिक पतन शामिल हो।
- **अक्षमता:** कोई चिकित्सकीय स्थिति जिसके कारण न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन न कर सके, जिसमें शारीरिक या मानसिक अक्षमता दोनों शामिल हैं।

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया:

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 सर्वोच्च न्यायालय (SC) और उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करता है।

प्रक्रिया की शुरुआत: लोकसभा में कम से कम 100 सांसद या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसद इस संबंध में प्रस्ताव (Motion) पर हस्ताक्षर करें।

- लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) या राज्यसभा सभापति (Chairman) विचार एवं परामर्श के बाद प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
- यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो तीन-सदस्यीय जांच समिति (Committee of Inquiry) का गठन किया जाता है।

जांच समिति:

- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या कोई अन्य SC न्यायाधीश
- किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- एक विशिष्ट विधिवेत्ता (Distinguished Jurist)

ये आरोपों की जांच करते है, और आरोपों का निर्धारण और साक्ष्यों की जांच, गवाहों से पूछताछ और प्रतिपरीक्षण, रिपोर्ट तैयार कर लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा सभापति को सौंपना

संसद में मतदान: प्रत्येक सदन में प्रस्ताव तभी पारित होगा जब:

- उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदन मिले और सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक सदस्य पक्ष में हों
- यदि दोनों सदन प्रस्ताव को पारित कर दें, तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं।

कार्यवाही की समाप्ति: यदि समिति न्यायाधीश को निर्दोष पाती है, तो कार्यवाही यहीं समाप्त हो जाती है और मामला आगे नहीं बढ़ता।

बलूच लिबरेशन आर्मी / Baloch Liberation Army

संदर्भ:

अमेरिका ने **बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA)** और उसके सहयोगी संगठनों को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर कड़ा संदेश दिया है।

- अमेरिका ने यह फैसला संशोधित आव्रजन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 और संशोधित कार्यकारी आदेश 13224 के तहत लिया है।
- इस घोषणा के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अमेरिका में सभी संपत्ति जब्त हो जाएंगी और अमेरिकी नागरिकों तथा संस्थाओं को इनके साथ किसी भी तरह का लेनदेन करने से मना किया जाएगा।

बलूचिस्तान के बारे में:

- बलूचिस्तान पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच फैला हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ यह देश का सबसे बड़ा प्रांत है।
- पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित यह प्रांत पश्चिम में ईरान, उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण-पूर्व में सिंध प्रांत से सीमा साझा करता है।
- दक्षिण में इसकी लंबी तटरेखा अरब सागर से लगी हुई है।
- बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, जिसकी आबादी लगभग 15 लाख है, और यह पाकिस्तान का दसवां सबसे बड़ा शहर है।

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के बारे में:

- बलूच लिबरेशन आर्मी एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है, जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करता है।
- इसका गठन 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य बलूच लोगों को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक नियंत्रण दिलाना और अंततः एक स्वतंत्र बलूचिस्तान की स्थापना करना है।
- BLA पर आरोप है कि यह राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण और सैन्य दमन के विरोध में हिंसक कार्रवाइयों को अंजाम देता है।
- पाकिस्तान और कई पश्चिमी देशों ने इसे पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था, और हाल ही में अमेरिका ने भी इसे आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है।

बलूचिस्तान और इसके प्राकृतिक संसाधन :

- **भौगोलिक महत्व:** पाकिस्तान के कुल भूभाग का लगभग **44%** हिस्सा बलूचिस्तान में आता है।

बलूचिस्तान और इसके प्राकृतिक संसाधन –

- **संसाधन संपन्नता:** तेल, सोना, तांबा और अन्य खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र।
- **सांस्कृतिक विशिष्टता:** अपनी अलग संस्कृति और पहचान के कारण बाकी पाकिस्तान से भिन्न।
- **स्थानीय जनजाति:** सदियों से यहां बसने वाली **बलूच जनजाति** इसे अपनी मातृभूमि मानती है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** ईरान के **सिस्तान प्रांत** के लोगों से गहरे सांस्कृतिक रिश्ते।
- **इतिहास:** ब्रिटिश शासन के दौरान यह इलाका ईरान और वर्तमान पाकिस्तान के बीच विभाजित हुआ।
- **वर्तमान स्थिति:** आज भी इसकी विशिष्ट पहचान और स्वतंत्रता का संघर्ष पाकिस्तान के लिए बड़ी **राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती** है।

अमेरिका को संभावित फायदे:

1. **रणनीतिक बढ़त** - क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि।
2. **संसाधनों तक पहुंच** - बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश और लाभ उठाने का अवसर।
3. **अंतरराष्ट्रीय छवि** - आतंकवाद विरोधी वैश्विक मोर्चे पर सक्रिय और जिम्मेदार देश के रूप में छवि मजबूत करना।

खुदरा मुद्रास्फीति / Retail Inflation

संदर्भ:

भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में **घटकर 1.55%** पर आ गई, जो जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है और भारतीय रिज़र्व बैंक के 2-6% के लक्ष्य दायरे से भी कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में तेज कमी के कारण हुई है।

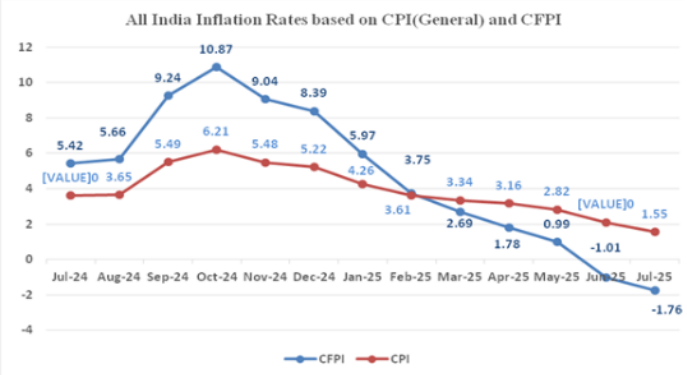

Retail Inflation (Consumer Price Index - CPI)

- **परिभाषा** – यह समय के साथ घरों द्वारा उपभोग के लिए खरीदे जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के दामों के सामान्य स्तर में होने वाले बदलाव को मापता है।
- **उपयोग** –
  1. **मौद्रिक संकेतक** – महंगाई को मापने के लिए प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक संकेतक।
  2. **नीतिगत उपकरण** – सरकार और केंद्रीय बैंक इसका उपयोग मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण और मूल्य स्थिरता की निगरानी के लिए करते हैं।
  3. **राष्ट्रीय खातों में डिफ्लेटर** – वास्तविक मूल्यों की गणना के लिए।
  4. **मजदूरी/भत्तों का इंडेक्सेशन** – महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के समायोजन में उपयोग।
- **आधार वर्ष** – केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने **आधार वर्ष 2010=100 से बदलकर 2012=100** कर दिया, जो जनवरी 2015 से लागू है।

इक्वेटर पुरस्कार / Equator Prize 2025

संदर्भ:

कर्नाटक के धारवाड़ जिले के तीरथा गांव की बीबी फातिमा महिला स्व-सहायता समूह (SHG) ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रदान किया जाने वाला इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है।

इक्वेटर पुरस्कार 2025 :

- **शुरुआत** – 2002 में लॉन्च किया गया।
- **उद्देश्य** – यह वार्षिक पुरस्कार आदिवासी समुदायों और स्थानीय समूहों द्वारा संचालित प्रकृति-आधारित समाधानों को सम्मानित करता है, जो सतत विकास और पारिस्थितिक लचीलापन (ecological resilience) को बढ़ावा देते हैं।
- **उपाधि** – इसे *जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार* भी कहा जाता है।

Bibi Fathima Swa Sahaya Sangha:

- **स्थान** – कर्नाटक
- **नेतृत्व** – महिला-नेतृत्व वाली पहल
- **लाभार्थी** – 30 गांवों में 5,000 से अधिक किसान
- **मुख्य कार्य** –
  1. बाजरा-आधारित बहु-फसली खेती (millet-based multi-cropping)
  2. बीज बैंक (Seed Banks)
  3. सौर ऊर्जा से संचालित प्रोसेसिंग यूनिट्स
- **प्रभाव** – पारंपरिक ज्ञान, पुनर्जनन कृषि (regenerative agriculture) और नवीकरणीय ऊर्जा को मिलाकर
  - जैव विविधता की पुनर्स्थापना
  - खाद्य सुरक्षा में सुधार
  - हाशिए पर मौजूद महिलाओं और युवाओं को कृषि-उद्यमी (agripreneurs) के रूप में सशक्त बनाना
  - जलवायु लचीलापन और समानता को बढ़ावा

अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड / IOAA

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने **18वें अंतरराष्ट्रीय खगोल एवं खगोलभौतिकी ओलंपियाड** को संबोधित किया।

18वाँ अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड (IOAA):

- **आयोजक** – होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कार्यालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से।
- **मेजबान देश** – भारत (मुंबई)
- **प्रतिभागी** – 64 देशों से 300 से अधिक हाई स्कूल छात्र और 140 मेंटर्स।
- **विशेषता** – अब तक का सबसे बड़ा IOAA संस्करण, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझा शिक्षा की भावना को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु:

- **भारत की खगोलीय विरासत:** प्राचीन काल से आकाश अवलोकन और नवाचार की परंपरा; आर्यभट द्वारा शून्य का आविष्कार और पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत।
- **आधुनिक उपलब्धियां:** लद्दाख वेधशाला, पुणे का जीएमआरटी, स्क्वायर किलोमीटर एरे और LIGO-India में योगदान।
- **अंतरिक्ष मिशन:** चंद्रयान-3, आदित्य-L1, और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आईएसएस मिशन।
- **STEM शिक्षा व शोध:** अटल टिंकरिंग लैब्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, विज्ञान में महिलाओं की अग्रणी भागीदारी, अरबों डॉलर का निवेश।
- **वैश्विक सहयोग:** युवाओं को भारत में अध्ययन, शोध और नवाचार के लिए आमंत्रण।
- **मानवता हेतु उपयोग:** किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदा चेतावनी, जंगल की आग व ग्लेशियर पिघलने की निगरानी, दूरस्थ क्षेत्रों में संचार सुधार।

राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार / National Experience Award

संदर्भ:

हाल ही में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारों की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोहों की घोषणा की।

राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार के बारे में:

- **शुरुआत:** 2015, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा।
- **उद्देश्य:** सेवानिवृत्त कर्मचारियों के व्यक्तिगत संस्मरणों के माध्यम से भारत के प्रशासनिक इतिहास का दस्तावेजीकरण।
- **पुरस्कार योजना:** सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करना, जिनके संस्मरण *Anubhav Porta*l पर प्रकाशित हों।

मुख्य विशेषताएं:

1. **पात्रता:** वे कर्मचारी जो अगले 8 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हों या पिछले 3 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए हों।
2. **प्रक्रिया:**
   - कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत *write-ups* का मूल्यांकन *Anubhav Awards* या *Anubhav Jury Awards* के लिए किया जाता है।
   - 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच *Anubhav Porta*l पर प्रकाशित होना आवश्यक।
3. **पुरस्कार वितरण का इतिहास:**
   - **2015:** 5 राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार और 10 अनुभव जूरी पुरस्कार।
   - **2023:** 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs) को शामिल कर दायरा बढ़ाया।
   - **2024:** मूल्यांकन में निष्पक्षता बढ़ाने के लिए *marking system* की शुरुआत।